न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 30/2014
दायर दिनांकः 18.12.2014
निर्णय दिनांक 03.10.2025

—: अनवान :—

गिरधारी सिंह पिता अमर सिंह राजपूत निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

— निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत केलवा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री चन्द प्रकाश पिता जमनेश पारीक निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

— विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम ग्राम केलवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 145 दिनांक 30.03.1991

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत केलवा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 30.03.1991 को पट्टा संख्या 145 जारी किया गया जिसके पड़ौस निम्न प्रकार उल्लेखित है :— पूर्व : राष्ट्रीय राजमार्ग नाप 30 फीट, पश्चिम : पड़त आबादी भूमि नाप 30 फीट, उत्तर : प्लॉट संख्या 4 पुष्पेन्द्रसिंह का, नाप 45 फीट, दक्षिण : प्लॉट संख्या 6, नाप 45 फीट। उपरोक्त वर्णित पड़ौसों को दर्शाते हुए सरपंच केलवा द्वारा पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है जो अवैध व विधि विरूद्ध है, ग्राम पंचायत केलवा द्वारा जारी किया गया पट्टा अवैध व विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत केलवा को नहीं हैं वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम केलवा की आराजी संख्या 2518 रकबा 5 बिस्वा का भाग है। आराजी नम्बर 2518 राजस्व रेकर्ड के अनुसार किस्म चरनोट के रूप में दर्ज है ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर केवल विपक्षी संख्या 2 को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये यह पट्टा जारी किया है जबकि ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं हैं यहां तक कि ग्राम पंचायत केलवा ने उक्त पट्टा जो जारी किया है वह निःशुल्क पट्टा है तथा पट्टा ग्राम पंचायत ने किस प्रस्ताव के तहत जारी किया है उसका भी पट्टे में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की न तो मिसल कायम की है, न ही कोरम में कोई

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रस्ताव लिया है, न ही पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी प्रावधान की पालना की हैं केवल सरपंच ने अपना पद समाप्त होने के बाद विपक्षी संख्या 2 से पैसे प्राप्त कर पट्टे पर अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित करते हुए पट्टा जारी कर दिया है जो विधि विरूद्ध हैं। विपक्षी संख्या 2 को न तो कोई पट्टा आवंटित है न ही पंचायत में कोई प्रोसिडिंग कार्यवाही है, न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव हैं ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि तत्कालीन सरपंच श्री भवानीशंकर पालीवाल एवं विपक्षी संख्या 2 की आपसी मिलीभगत से यह पट्टा जारी हुआ है। उक्त पट्टा जो जारी हुआ है, वह न केवल चारागाह भूमि में जारी किया गया है बल्कि पट्टे को राष्ट्रीय राजमार्ग का पड़ौस बताते हुए जारी किया है जबकि जो पट्टा जारी हुआ है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग रोड़ की कोई सीमा एवं दूरी पट्टे में दर्शायी हुई नहीं हैं। वास्तव में उक्त पट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग की रोड़ की भूमि में जारी किया गया है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि के बाद चारागाह भूमि है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार रखती है। जबकि उक्त भूमि पट्टे के अनुसार ही राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में गिरती है और यदि उक्त भूमि में नहीं गिरती है तो भी इसके पास वाली भूमि चारागाह भूमि है जिसमें भी ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की है, न ही किसी की आपत्ति आमन्त्रित की गयी है. न ही नोटिस जारी किया गया है, न ही उदघोषणा की गयी है। यहां तक कि मिसल भी कायम नहीं की गयी, न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित किया हैं ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत केलवा द्वारा जारी किया गया पट्टा 145 दिनांक 30.03.1991 जो कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है, उक्त पट्टे को निरस्त फरमाया जावे तथा जो फर्जी एवं कूटरचित पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है इसके संबंध में विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीगर ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिती दी तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिती दी तथा ग्राम पंचायत पीपरडा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। किन्तु कार्यालय ग्राम पंचायत केलवा के पत्र क्रमांक 29 दिनांक 10.08.2015 से अवगत कराया कि वादग्रस्त पट्टे से संबंधित कोई पत्रावली उपलब्ध नही हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी याचिका में उल्लेखित नाप एवं पडौसो मध्य के भू–खण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत केलवा द्वारा विपक्षी संख्या–2 को जारी किया जाना स्वीकार है लेकिन यह पट्टा किसी भी तरह से अवैध एवं विधि विरूद्ध नही है न ही पट्टे की वैधता को चुनौति देने का कोई अधिकार प्रार्थी को है। विपक्षी संख्या– 2 को वर्ष 1991 में 30 गुणित 45 फीट का पट्टा जारी किया गया था। तत्कालीन समय में प्रार्थी अकेले को ही नहीं वरन कई व्यक्तियो को पटटे जारी किये गये है तथा वे सभी पट्टेशुदा भूमि का उपयोग कर रहे है उसमें से अधिकांश व्यक्तियो ने मकान भी निर्मित कर रखे है जिसका विवरण विशेष कथन में विस्तृत रूप से किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियो को पट्टे पर दिये गये भू–खण्ड सुख बावडी के सटमा है तथा इस भूमि को आबादी में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में दिनांक 29.5.1989 को लिया गया एवं इस प्रस्ताव के आधार पर ही ग्राम वासियो को पट्टे जारी किये गये है। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या–2 को ही नही वरन् कई व्यक्तियो को पट्टे जारी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किये है और उन व्यक्तियो द्वारा किये गये निर्माण के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं हुई है। प्रार्थ ने द्वेषतावश विपक्षी संख्या–2 के पट्टे को चुनौति दी है। विपक्षी संख्या–2 को जारी किया गया पट्टा सभी प्रकार की विधिक आवश्यकताओ की पूर्ति के बाद जारी किया गया है। यह कहना गलत है कि सरपंच ने अपना पद समाप्त होने के बाद विपक्षी संख्या–2 से पैसे प्राप्त कर पट्टे पर अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित करते हुए पट्टा जारी किया है। यदि ऐसा होता तो यह पट्टा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नही होता। थानाधिकारी केलवा द्वारा विपक्षी संख्या–2 के पट्टे के संबंध में जानकारी चाही गई जिसमें ग्राम पंचायत केलवा ने दिनांक 13.12.14 को जानकारी उपलब्ध कराई एवं यह पट्टा प्रार्थी के नाम जारी होना बताया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेख में यह पट्टा उपलब्ध है। विपक्षी संख्या–2 को जारी किया गया पट्टा वैध है। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में कोई पट्टा जारी नही हुआ है। एक तरफ तो प्रार्थी चारागाह भूमि में पट्टा जारी होना बता रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में पट्टा जारी होना बता रहा है, दोनो ही तथ्य विरोधाभाषी है। प्रार्थी का कथन निश्चित नही है कि वह विपक्षी संख्या–2 की पट्टाशुदा भूमि चारागह में होना बता रहा है या राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में होना बता रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का खाता बिल्कुल अलग है। प्रार्थी ने कयासी आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या–2 को सरपंच द्वारा मिलीभगती से पट्टा जारी नही किया है न ही पट्टा किसी प्रकार से कुटरचित एवं फर्जी दस्तावेज है। कुटरचित एवं फर्जी दस्तावेज उस स्थिति में होता जब पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर फर्जी होते या पट्टा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में होता ही नही। विपक्षी संख्या–2 को पट्टा जारी हुए करीब 24 वर्ष का समय हो चुका है एवं आस पास में मकानात् बन चुके है फिर उन सब व्यक्तियो को छोडते हुए अकेले विपक्षी संख्या–2 के पट्टे को ही प्रार्थी ने चुनौति क्यो दी है? इसका कोई कारण नही लिखा गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अनावश्यक रूप से विपक्षी संख्या–2 को परेशान करना चाहता है और इस नियत से यह निगरानी याचिका पेश की गई है। निगरानी याचिका मयाद में नही है। अति विशिष्ट देरी से निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। **विशेष कथन :** ग्राम केलवा के अन्दर हल्के आबादी के सटमा आराजी संख्या–2518 स्थित है। यह भूमि 59 बीघा 13 बिस्वा है इसमें से 2 एकड भूमि आबादी विस्तार के लिये ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा दी गई एवं यह भूमि गांव की आबादी के हिसाब से काफी कम होने से इस आराजी के अन्य रकबे को भी आबादी विस्तार के लिये दिये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25–9–1989 को लिया गया तथा जो 2 एकड भूमि आबादी विस्तार के लिये दी गई उसमें ग्राम पंचायत द्वारा अनेक लोगो को पट्टे दिये गये। जिसमें एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 को भी दिया गया हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्तियो ने मकान एवं बाडे निर्मित कर दिये है एवं भू–खण्डो का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उपरोक्त चारागाह भूमि गांव की आबादी के सटमा एवं मध्य में होने से ग्राम पंचायत ने गांव की आबादी को बसाया है तथा इतने सारे व्यक्तियो में से केवल मात्र विपक्षी संख्या–2 के पट्टे को प्रार्थी द्वारा चुनौति दिया जाना उसकी दूर्भावना को प्रकट करता है। प्रार्थी के परिवार की सदस्या श्रीमती गीता पत्नि प्रभूसिंह राजपूत को भी इस आराजी में पट्टा जारी हो रखा है तथा ये सारे पट्टे ग्राम पंचायत के अभिलेख में मौजुद है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या–2 को महज परेशान करने के लिये यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे सव्यय निरस्त किया जाना आवश्यक हैं।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत केलवा द्वारा जारी किया गया पट्टा अवैध व विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत केलवा को नहीं हैं वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम केलवा की आराजी संख्या 2518 रकबा 5 बिस्वा का भाग है। आराजी नम्बर 2518 राजस्व रेकर्ड के अनुसार किस्म चरनोट के रूप में दर्ज है ऐसी स्थिति में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

चरागाह भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर केवल विपक्षी संख्या 2 को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये यह पट्टा जारी किया है जबकि ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं हैं यहां तक कि ग्राम पंचायत केलवा ने उक्त पट्टा जो जारी किया है वह निःशुल्क पट्टा है तथा पट्टा ग्राम पंचायत ने किस प्रस्ताव के तहत जारी किया है उसका भी पट्टे में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की न तो मिसल कायम की है, न ही कोरम में कोई प्रस्ताव लिया है, न ही पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी प्रावधान की पालना की हैं केवल सरपंच ने अपना पद समाप्त होने के बाद विपक्षी संख्या 2 से पैसे प्राप्त कर पट्टे पर अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित करते हुए पट्टा जारी कर दिया है जो विधि विरूद्ध हैं। विपक्षी संख्या 2 को न तो कोई पट्टा आवंटित है न ही पंचायत में कोई प्रोसिडिंग कार्यवाही है, न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव हैं ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा न केवल विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का केलवा की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त पट्टा जो जारी हुआ है, चारागाह भूमि में जारी किया गया है चारागाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार रखती है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की है, न ही किसी की आपत्ति आमन्त्रित की गयी है. न ही नोटिस जारी किया गया है, न ही उदघोषणा की गयी है। यहां तक कि मिसल भी कायम नहीं की गयी, न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित किया हैं ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत केलवा द्वारा जारी किया गया पट्टा 145 दिनांक 30.03.1991 जो कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है, उक्त पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

अधिकवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत केलवा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया हैं। अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

अधिकवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि ग्राम केलवा के अन्दर हल्के आबादी के सटमा आराजी संख्या–2518 स्थित है। यह भूमि 59 बीघा 13 बिस्वा है इसमें से 2 एकड भूमि आबादी विस्तार के लिये ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा दी गई एवं यह भूमि गांव की आबादी के हिसाब से काफी कम होने से इस आराजी के अन्य रकबे को भी आबादी विस्तार के लिये दिये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25–9–1989 को लिया गया तथा जो 2 एकड भूमि आबादी विस्तार के लिये दी गई उसमें ग्राम पंचायत द्वारा अनेक लोगो को पट्टे दिये गये। जिसमें एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 को भी दिया गया हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्तियो ने मकान एवं बाडे निर्मित कर दिये है एवं भू–खण्डो का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उपरोक्त चारागाह भूमि गांव की आबादी के सटमा एवं मध्य में होने से ग्राम पंचायत ने गांव की आबादी को बसाया है तथा इतने सारे व्यक्तियो में से केवल मात्र विपक्षी संख्या–2 के पट्टे को प्रार्थी द्वारा चुनौति दिया जाना उसकी दूर्भावना को प्रकट करता है। प्रार्थी के परिवार की सदस्या श्रीमती गीता पत्नि प्रभूसिंह राजपूत को भी इस आराजी में पट्टा जारी हो रखा है तथा ये सारे पट्टे ग्राम पंचायत के अभिलेख में मौजुद है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या–2 को महज परेशान करने के लिये यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे सव्यय निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत केलवा द्वारा चरनोट भूमि में जारी तथाकथित पट्टा 145 दिनांक 30.03.1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। पटवारी पटवार मण्डल केलवा की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 का भी अध्ययन किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम केलवा के आराजी संख्या 2518/1 में सघन आबादी बसी हुई है और दक्षिण में सटी आराजी संख्या 6044/2518 किस्म चारागाह में भी लम्बे समय से सघन आबादी बसी हुई हैं इसी आराजी संख्या 6044/2518 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम दिशा में सघन आबादी बसी हुई है, शेष खाली भूमि हैं। अतः पटवारी की रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ कि यह पट्टा चारागाह भूमि मे जारी किया गया हैं। जिसके आराजी संख्या 6044/2518 हैं। इस संबंध में पटवारी द्वारा मौका पर्चा दिनांक 26.08.2025 को बनाया गया है। जिससे इसकी पुष्टि होती है कि वादग्रस्त पट्टा चारागाह भूमि मे जारी किया गया हैं। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कहना है कि वादग्रस्त आराजी की भूमि चरनोट है किन्तु उस पर सघन आबादी बसी हुई हैं तथा सैकडों पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा सदभावना पूर्वक बसे/बने हुए मकानो के जारी किये हुए हैं। अतः उनका पट्टा निरस्त नही किया जायें। जिससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित पट्टा 145 दिनांक 30.03.1991 ग्राम पंचायत केलवा द्वारा आराजी संख्या 6044/2518 में जारी किया गया है, जो कि चारागाह है और चारागाह भूमि में ग्राम पंचायत को आबादी का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही है अतः ग्राम पंचायत द्वारा जो विवादित पट्टा जारी किया गया है वह प्रारम्भ से अवैध शुन्य प्रभावहीन होकर खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 145 दिनांक 30.03.1991 को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर तथाकथित पट्टा संख्या 145 दिनांक 30.03.1991 को निरस्त किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद